माल और सेवा कर परिषद
GOODS AND SERVICES TAX COUNCIL

वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय

5वीं मंजिल, टावर-II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

फ़ा. सं: GoM-Revenue Analysis/GSTC/2021

दिनांक: 03-03-2025

कार्यालय - ज्ञापन

विषय: GST से प्राप्त होने वाले राजस्व के विश्लेषण पर मंत्रियों के समूह (GoM) में आंशिक संशोधन।

जैसलमेर, राजस्थान में 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने निर्णय लिया कि जीएसटी से प्राप्त राजस्व के विश्लेषण सम्बन्धी मंत्रियों के समूह (GoM) को संशोधित निर्धारित कार्यक्षेत्र के साथ पुनर्गठित किया जाए। तदनुसार, जीएसटी से राजस्व के विश्लेषण पर गठित मंत्रियों के समूह (GoM) इस प्रकार गठन किया गया है।

2. इस GoM की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं	नाम	पदनाम और राज्य	स्थिति
1.	डॉ प्रमोद पी सावंत	मुख्यमंत्री, गोवा	संयोजक
2.	श्री सम्राट चौधरी	उप मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
3.	श्री ओम प्रकाश चौधरी	वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
4.	श्री कनुभाई देसाई	वित्त और ऊर्जा मंत्री, गुजरात	सदस्य
5.	श्री पय्यावुला केशव	वित्त, योजना, वाणिज्यिक कर और विधायी कार्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	सदस्य
6.	श्री अजीत पवार	उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
7.	श्री हरपाल सिंह चीमा	वित्त मंत्री, पंजाब	सदस्य
8.	श्री थंगम थेन्नारासु	वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री, तमिलनाडु	सदस्य
9.	श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क	वित्त और योजना, ऊर्जा मंत्री, तेलंगाना	सदस्य

3. GoM के लिए संदर्भ की शर्तें (TOR) निम्नलिखित हैं:

i. **राज्य-वार राजस्व रुझान विश्लेषण:**
- विभिन्न सेक्टर्स और क्षेत्रों के राजस्व पैटर्न की पहचान सहित राज्य-वार राजस्व संग्रह रुझानों का विश्लेषण करना।
- अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति (inter-State outward supply) से प्राप्त राजस्व के विवरण की समीक्षा करना।
- क्षेत्र-वार विश्लेषण की समीक्षा करना और उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान व सिफारिश करना जिनमें नीतिगत हस्तक्षेप या प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता है।

ii. **जीएसटी राजस्व पर आर्थिक और अन्य कारकों के प्रभाव का विश्लेषण:**

- जीएसटी राजस्व पर व्यापक आर्थिक नीति परिवर्तनों और क्षेत्रीय/भौगोलिक कारकों के प्रभाव का विश्लेषण करना, जिसमें कृषि प्रधान और छोटे राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियां शामिल हैं।
- जीएसटी अधिनियम और नियमों/अधिसूचनाओं में किए गए संशोधनों के परिणामों का विश्लेषण करना।

iii. **चोरी-रोधी और अनुपालन उपायों का एकीकरण:**

- एक एकीकृत प्रवर्तन और अनुपालन मंच बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों (जैसे, NIC, GSTN, DG ARM, राज्य सरकारें) द्वारा विकसित चोरी-रोधी, ऑडिट और जांच उपायों के सामंजस्य की समीक्षा और सिफारिश करना।

iv. **राजस्व वृद्धि के लिए नीतिगत सिफारिशें:**

- राजस्व वृद्धि के लिए सुधार के उपयुक्त उपायों/नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देना, विशेष रूप से उन राज्यों के लिए जो उच्च राजस्व कमी का सामना कर रहे हैं।

4. राजस्व विभाग GoM को आवश्यक सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।

5. यह ज्ञापन पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या GoMAnalysisofRevenue/GSTC/2021 (दिनांक 09.06.2021), संख्या 844/GoMforRevenue Analysis/GSTC/2018 (दिनांक 01.01.2019) और संख्या GoM-AnanlysisotRevenue/GSTC/2021 (दिनांक 11.07.2023) का स्थान लेता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(रेशमा आर. कुरुप)

अवर सचिव (Under Secretary)

सेवा में,

GoM के माननीय सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय वित्त मंत्री के प्रधान सचिव (PS), भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली;
2. माननीय राज्य वित्त मंत्री के प्रधान सचिव (PS), भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली;
3. गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के नोडल अधिकारी।
4. राजस्व सचिव के पीपीएस (PPS), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष CBIC के पीपीएस, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. अतिरिक्त सचिव (राजस्व) के पीपीएस, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

7. संयुक्त सचिव (TPRU) के पीपीएस, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. संयुक्त सचिव (राजस्व) के पीपीएस, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. सभी राज्यों के नोडल अधिकारी।

(रेशमा आर. कुरुप)

अवर सचिव